

34

राजस्थान सरकार,
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक प.5(3)नविवि/३/९९पार्ट

जयपुर, दिनांक: 09.02.2016

आदेश।

राजस्थान के सुधार न्यास अधिनियम 1970 की दरमाने एवं राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि का निष्पादन) नियम, 1974 के नियम ८ व ९, राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा 60 के अन्तर्गत पद्धति अधिनियमों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद्वारा प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास एवं आवासन मण्डल की दक्षता लीज राशि के व्याज में निम्नानुसार छूट प्रदान करती है :-

- पूर्व की राशरत बकाया पार्चिक लीज राशि मध्य यात्रा वर्ष को लोअ राशि जमा कराये जाने पर बकाया लीज के व्याज में ५० प्रतिशत राशि की छूट दी जायेगी।
- पूर्व की समरत बकाया एवं आगे के लिए समस्त वर्षों के लिए पूर्व मुश्त लीज राशि जमा कराये जाने वाले लीज होल्डर्स को बकाया लीज राशि के व्याज में शांत-प्रतिशत छूट दी जायेगी।

यह छूट दिनांक 31.03.2016 तक राशि जमा कराये जाने पर ही उपलब्ध होगी।

समस्त प्राधिकरणों नगर सुधार न्यासी एवं आवासन मण्डल द्वारा उक्त योजना का लाभ अधिकाधिक लोगों प्रदान किया जाने हेतु आपाना प्रचार-प्रगति के बाह्य-राष्ट्र लीज राशि नमूली हेतु शिविर लगाये जावं।

उक्त स्पौदिति दित्त विभाग की आईडी संख्या 101600013 दिनांक 09.02.2016 के अनुसार ने जारी की जाती है।

राजभाल की आज्ञा रो,


(जगन्नाथ सिंह मोगा)
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को मूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- सचिव (प्रथम), नानीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
- निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं राजधानी शासन विभाग।
- निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्नायत्त शासन/वित्त विभाग।
- आगुवत, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- रामस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, राजस्थान।
- संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
- परिष्क उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को उक्त आदेश विगारीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु मध्य अतिरिक्त प्रति के।
- सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
- मुख्य नगर नियोजक, नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- सचिव, नगर सुधार न्यास, (समरत) राजस्थान।
- समस्त अधिकारीगण, नगरीय विकास विभाग।
- रक्षा पत्रावली।


रायुक्त शासन सचिव-तृतीय


(87)